



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-21042026-271915
CG-KA-E-21042026-271915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1877]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18, 2026/चैत्र 28, 1948

No. 1877]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18, 2026/CHAITRA 28, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 18 अप्रैल, 2026

का.आ. 1947(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (संशोधित-2008) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20(A) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, वह भूमि—जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है—कर्नाटक राज्य के मराजनगर स्टेशन यार्ड के रिमांडलिंग (पुनर्गठन) कार्य प्रस्तावित है जिसमें अतिरिक्त लूप लाइनें तथा जल-व्यवस्था आदि शामिल हैं, इस कार्य को निष्पादित करने के लिए निम्न अधिसूचित भूमि आवश्यक है; एतद्वारा ऐसी भूमि को अधिगृहीत करने के लिए अपना आशय घोषित करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (1) के तहत, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

प्रस्तावित चामराजनगर स्टेशन यार्ड के रिमांडलिंग जिसमें अतिरिक्त लूप लाइनें व जल व्यवस्था आदि के कार्य के लिए अधिग्रहित भूमि पर प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम अधिकारी यानी सहाक आयुक्त, कोल्लेगाला और 'आर्बिट्रेटर' यानी 'क्षेत्रीय आयुक्त' मैसूर डिवीज़न, मैसूर को लिखित रूप में दी जा सकती है और इसमें आपत्ति के आधार भी बताए जाना चाहिए। पत्ति करने वाले को अपनी बात रखने का मौका सक्षम अधिकारी, द्वारा दिया जाएगा इस विषय में भू मालिक चाहे

वह खुद आकर बात करे या किसी कानूनी सलाहकार के ज़रिए भी बात करा सकता है। सभी आपत्तियों को सुनने के बाद, और अगर आवश्यक हो तो आगे की जांच-पड़ताल करने के बाद (जैसा कि सक्षम अधिकारी को उचित लगे), वह एक आदेश जारी करके उन आपत्तियों को या तो स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजना और अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी एवं विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सहायक आयुक्त तथा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोल्लेगाला उप-मंडल, कोल्लेगाला के उपर्युक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं, और इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

चामराजनगर में प्रस्तावित चामराजनगर स्टेशन यार्ड के रीमॉडलिंग (अतिरिक्त लूप लाइनों, पानी की व्यवस्था आदि सहित) के लिए प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत आने वाली, संरचना सहित या संरचना रहित, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

ग्राम: चामराजनगर

होबली: कसाबा

तालुक: चामराजनगर

जिला: चामराजनगर

क्र.सं.	सर्वे सं.	लाभार्थी का नाम	भूमि का वर्गीकरण	कुल (A-G)	खरब (A-G)	अधिग्रहण की सीमा	हेक्टायर में विस्तार	पेड और पौधों का विवरण	भवन और अन्य
1	738	समीवुल्ला पुत्र सवर्गीय के अब्दुल मजिद	सूखी जमीन	0A-15G	-	0-15G	0.1517	-	-
2	49	जामिया मस्जिद	सूखी जमीन	1A-19G	-	0-13G	0.1315	-	-
3	50/1	नजमा बेगन पुत्री स्वर्गीय अब्दुल मजिद	सूखी जमीन	1A-10G	-	0-09G	0.0910	-	-
4	50/2	मोहम्मद ओमेरुल्ला पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद बसीरुद्दीन और अन्य	सूखी जमीन	0A-22G	-	0-04G	0.0404	-	-
5	67/1	राष्ट्रीय राजमार्ग जमीन	सूखी जमीन	0A-07G	-	0-03G	0.0303	-	-

6	67/2	फरा बानू पत्नी जहीर खान	सूखी जमीन	1A-00	-	0A-1.5G	0.0151	-	-
7	67/3	मोहम्मद ओमेरुल्ला पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद बसीरुद्दीन और अन्य	सूखी जमीन	0A-28G	-	0A-3.5G	0.0354	-	-
8	743	रजिया बेगन पुत्री स्वर्गीय अब्दुल मजिद	सूखी जमीन	0A-05G	-	0A-05G	0.0505	-	-
9	69/1	राष्ट्रीय राजमार्ग जमीन	सूखी जमीन	0A- 16.75G	-	0A-6.5G	0.0657	-	-
10	69/2	इशरतुन्नीसा पत्नी स्वर्गीय सय्यद शफिक अहमद और अन्य	सूखी जमीन	0A- 3.25G	-	0A-3.25G	0.0328	-	-
11	69/3	एच तोसिफुलला पुत्र मुजिबुनिनसा और अन्य	सूखी जमीन	0A-19G	-	0A- 13.75G	0.1391	-	-
12	71/2	नुसरतुन्निसा पुत्री स्वर्गीय सय्यद अब्दुल अजीज	सूखी जमीन	0A-19G	-	0A-01G	0.0101	-	-
13	71/3	यासमिन ताज पुत्री सादतुन्निसा और अन्य	सूखी जमीन	0A-19G	-	0A-11G	0.1112	-	-
14	71/4	हिस्त्रतुन्निसा पुत्री स्वर्गीय सय्यद अब्दुल अजीज	सूखी जमीन	0A-22G	-	0A- 21.25G	0.2149	-	-
15	72	नुसरत आजम पत्नी अनवर पाषा साब	सूखी जमीन	1A-23G	-	0A-22G	0.2225	-	-
16	73	नुसरत आजम पत्नी अनवर पाषा साब	सूखी जमीन	1A-14G	0A- 03G	0A-6.25G	0.0632	-	-
17	75	खाजर अनवर पुत्र अनवर बाषा साब	सूखी जमीन	3A-11G	0A- 33G	0A-31G	0.3136	-	-

18	36	नुसरत आजम सूखी पत्नी अनवर जमीन पाषा साब	0A-22G	0A-02G	0A-10G	0.1011	-	-
19	736	खाजर अनवर पुत्र सूखी अनवर बाषा साब जमीन	0-30G	-	0A-30G	0.3035	-	-
20	737	खिजर अनवर पुत्र सूखी अनवर पाषा साब जमीन	0-38G	-	0A-38G	0.3844	-	-
Total			16A-23G	0-38G	06A-08G	2.5090		

ABSTRACT

ग्राम का नाम	एकड़ - गुंटा	हेक्टायर में क्षेत्र
चामराजनगर	06A-08G	2.5090

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/नि/बें छा /2026-27/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य इंजीनियर-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[South Western Railway (Construction Organisation)]****NOTIFICATION**

Bengaluru, the 18th April, 2026

S.O. 1947(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20(A) of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (Amended-2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government (Ministry of Railways, South Western Railways, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment) after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of Proposed Chamarajanagara Station Yard Remodeling with additional loop lines watering etc., in the State of KARNATAKA hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority viz., Assistant Commissioner Kollegala and 'Arbitrator' viz., 'Regional Commissioner' Mysuru Division, Mysuru for Proposed Chamarajanagara Station Yard Remodeling with additional loop lines watering etc., in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20(D) of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority and Special Land Acquisition Officer, Assistant Commissioner and Special Land Acquisition Officer Kollegala Sub-Division, Kollegala.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Proposed Special Railway Project for Proposed Chamarajanagara Station Yard Remodelling with additional loop lines watering etc., at Chamarajanagara

VILLAGE: CHAMARAJANAGARA

HOBLI: KASABA

TALUK: CHAMARAJANAGARA

DISTRICT: CHAMARAJANAGARA

Sl. No	Sy. No	Beneficiary Names	Classification of land	Total (A-G)	Kharab (A-G)	Extent of Acquisition (A-G)	Extent in Hectares	Trees and Plats details	Buildings and others
1	738	Samivulla S/o late. K. Abdul Majid	Dry land	0A-15G	-	0-15G	0.1517	-	-
2	49	Jamiya Masidi	Dry land	1A-19G	-	0-13G	0.1315	-	-
3	50/1	Nazma Begum D/o late. Abdul Majid	Dry land	1A-10G	-	0-09G	0.0910	-	-
4	50/2	Mohamad Omerulla S/o late. Mohamad Basiruddin and others	Dry land	0A-22G	-	0-04G	0.0404	-	-
5	67/1	Land NH	Dry land	0A-07G	-	0-03G	0.0303	-	-
6	67/2	Pharha Bhanu W/o Zaheer Khan	Dry land	1A-00	-	0A-1.5G	0.0151	-	-
7	67/3	Mohamad Omerulla S/o late. Mohamad Basirvudin and others	Dry land	0A-28G	-	0A-3.5G	0.0354	-	-

8	743	Raziya Begum D/o Late Abdul Majid	Dry land	0A-05G	-	0A-05G	0.0505	-	-
9	69/1	Land NH	Dry land	0A- 16.75G	-	0A-6.5G	0.0657	-	-
10	69/2	Esrath unnisa W/o Late. Syed Shafique Ahmed and others	Dry land	0A- 3.25G	-	0A-3.25G	0.0328	-	-
11	69/3	H.Tousifulla S/o Mujib Unnisa and others	Dry land	0A-19G	-	0A-13.75G	0.1391	-	-
12	71/2	Nusrat unnisa D/o Late. Syed Abdul Ajiz	Dry land	0A-19G	-	0A-01G	0.0101	-	-
13	71/3	Yasmin Taj D/o Sadat Unnisa and others	Dry land	0A-19G	-	0A-11G	0.1112	-	-
14	71/4	Histrat Unnisa D/o late. Syed Adbul Ajiz	Dry land	0A-22G	-	0A-21.25G	0.2149	-	-
15	72	Nusarath Ajam W/o Anvar Pasha Sab	Dry land	1A-23G	-	0A-22G	0.2225	-	-
16	73	Nusarath Ajam W/o Anvar Pasha Sab	Dry land	1A-14G	0A-03G	0A-6.25G	0.0632	-	-
17	75	Khajar Anvar S/o Anvar Pasha Sab	Dry land	3A-11G	0A-33G	0A-31G	0.3136	-	-
18	36	Nusarath Ajam W/o Anvar Pasha Sab	Dry land	0A-22G	0A-02G	0A-10G	0.1011	-	-

19	736	Kijar Anvar S/o Anvar Pasha Sab	Dry land	0-30G	-	0A-30G	0.3035	-	-
20	737	Kizar Avvar S/o Anvar Pasha sab	Dry land	0-38G	-	0A-38G	0.3844	-	-
Total				16A-23G	0-38G	06A-08G	2.5090		

ABSTRACT

Name of the Village	Acre-Guntas	Area in Hectare
Chamarajanagara	06A-08G	2.5090

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction